संख्या:126 / P / XXIV-3/11/03(5-II)08

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून, दिनांक: 02 ~~नवम्बर~~ दिसम्बर, 2011

विषयः– राजकीय इण्टर कालेज, पुलहिण्डोला, चम्पावत के चालू भवन निर्माण कार्यो हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 5ख(2)/61703/वृहद निर्माण/2011–12 दिनांकः 14 नवम्बर, 2011 के सम्बन्ध में शासनादेश संख्याः 253/XXIV/3/11/03(05-11)08दिनांक:31 मार्च, 2011 एवं शासनादेश संख्याः 1573/XXIV/3 / 11 / 03 (03) 08 दिनांकः 22 सितम्बर, 2011 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित राजकीय इण्टर कालेज, पुलहिण्डोला, चम्पावत के विद्यालय भवन निर्माण हेतु स्तम्भ–4 में अंकित अनुमोदित लागत के सापेक्ष स्तम्भ–5 में अंकित विवरणानुसार पूर्व में स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए स्तम्भ–6 में अंकित विवरणानुसार कुल रू0 89.00 लाख (रूपये नवासी लाख मात्र) की धनराशि को आपके निवर्तन पर रखते हुए नियमानुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नांकित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:–

(धनराशि लाख रूपयों में)

क्र. स.	पुस्तकालय का नाम	मूल स्वीकृति का शासनादेश संख्या एवं दिनांक	टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत	प्रथम किश्त की धनराशि	द्वितीय किश्त की धनराशि	कुल योग	भौतिक प्रगति प्रतिशत	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4	5			6	7
1.	राजकीय इण्टर कालेज, पुलहिण्डोला, जनपद, चम्पावत	1. 253/XXIV/3/11/03 (05-11) 08 दिनांकः 31 मार्च, 2011. 2. 1573/XXIV/3/11/03 (03) 08 दिनांकः 22 सितम्बर, 2011.	99.71 —	1.00 —	9.71	10.71 —	20%	89.00
		कुल योग–	99.71	1.00	9.71	10.71	20%	89.00

1. कार्य करने से पूर्व उक्त कार्य के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था से वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 475/XXVII (07)08 दिनांकः 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जाय। कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत

क्रमशः–2

नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

.2. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी

3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी राशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

4. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आंगणन गठित सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

5. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

5. निर्माण समाग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

6. आंगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

7. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल की भली–भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

8. निर्माण समाग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

9. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 2047/XIV–219 (2006) दिनांकः 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

10. उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहॉ आवश्यक हो व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। कार्य के प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय सारणी के अनुसार पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथा समय शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाय। स्वीकृति की प्रत्याशा में अनानुमोदित व्यय कदापि न किया जाय। कार्य के शत् प्रतिशत वित्तीय/ भौतिक प्रगति आख्या शासन को समयान्तर्गत अवश्य उपलब्ध करायी जायेगी।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 01–सामान्य शिक्षा, 202–माध्यमिक शिक्षा, 00–आयोजनागत, 11–राजकीय हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कालेजों के भवनहीन/जीर्ण–शीर्ण भवनों का निर्माण, 24–वृहत् निर्माण के नामे डाला जायेगा।

क्रमशः–3

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 261(P)XXVII(3) 2011-12 दिनांकः 25नवम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
सचिव।

पृष्ठांकनसंख्याः 126(P)/XXIV-3/11/ 03(S-II)08तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– निजी सचिव, सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
6– अपर सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–4 (घोषणा अनुभाग), उत्तराखण्ड शासन।
7– आयुक्त, कुमायॅ मण्डल, नैनीताल।
8– जिलाधिकारी, चम्पावत।
9– कोषाधिकारी, चम्पावत।
10– जिला शिक्षा अधिकारी, चम्पावत।
11– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संशाधन निदेशालय सचिवालय।
12– वित्त विभाग(अनुभाग–3)/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
13– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
14– सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी।
15– भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
16– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0पी0तिवारी)
अनुसचिव।